

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
निर्णय दिनांक - 27.05.2019

प्रकरण संख्या- 72/2019

1. अब्दुल हमीद पिता अब्दुल मजीद मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी उंचा।
2. अब्दुल वहीद खां पिता अब्दुल मुजीब खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी उंचा।
3. अब्दुल जब्बार पिता अब्दुल मुजीब खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी उंचा।
4. हसीना बी पत्नी अब्दुल मुजीब खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी उंचा, तहसील निम्बाहेड़ा।

- प्रार्थीगण

// बनाम //

1. जरीना बी पत्नी रईस खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी उंचा।
2. मानसिंह पिता गोरीलाल बंजारा, आयु वयस्क, निवासी उंचा।
3. छल्ला पिता गोरीलाल बंजारा, आयु वयस्क, निवासी उंचा।
4. सुरजमल पिता गोरीलाल बंजारा, आयु वयस्क, निवासी उंचा।
5. वकील पिता गोरीलाल बंजारा, आयु वयस्क, निवासी उंचा, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. हीरालाल पिता हजारीलाल बंजारा, आयु वयस्क, निवासी उंचा।
7. बाबुलाल पिता हजारीलाल बंजारा, आयु वयस्क, निवासी उंचा।
8. सिकन्दर पिता देवा बंजारा, आयु वयस्क, निवासी उंचा।
9. जेबुन बी पत्नी पप्पु खान मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी उंचा, तहसील निम्बाहेड़ा।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा10 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा उंचा की खाता संख्या 106 की आराजी नं. 244 रकबा 1.9000 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 800/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा उंचा की खाता संख्या 106 की आराजी नं. 244 रकबा 1.9000 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



पंकज शर्मा
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

